न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021 / 116 **दायरा दिनांक : 28.09.2021**

उनवान

1– गणेशराम उम्र 74 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– इन्द्रप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
3– लटूरलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
4– छोटूलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
5– चम्पालाल पुत्र बिरधीलाल – मृतक
5/1– भूपेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
5/2– योगेन्द्र उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
6– मानसिंह पुत्र श्री मथुरालाल –मृतक
6/1– सुखन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मानसिंह, जाति मीणा, निवासी चिण्डालिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– तीरथराज उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति माली, निवासी झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां हाल मुकाम रायपुरिया, डी.सी.एम. मैन रोड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– गंगाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– छोटूलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
3– घासीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
4– तेजमल उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
5– मोहनलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
6– गायत्री बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री श्री बिहारीलाल, जाति मीणा, निवासी रूण्डी रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2021 / 115 **दायरा दिनांक : 28.09.2021**

उनवान

1– गणेशराम उम्र 74 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– इन्द्रप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
3– लटूरलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
4– छोटूलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
5– चम्पालाल पुत्र बिरधीलाल – मृतक
5/1– भूपेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
5/2– योगेन्द्र उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
6– मानसिंह पुत्र श्री मथुरालाल –मृतक
6/1– सुखन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मानसिंह, जाति मीणा, निवासी चिण्डालिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– तीरथराज उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति माली, निवासी झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां हाल मुकाम रायपुरिया डी.सी.एम. मैन रोड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

.... अपीलांट

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम

1— गंगाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2— छोटूलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
3— घासीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
4— तेजमल उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
5— मोहनलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
6— गायत्री बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री श्री बिहारीलाल, जाति मीणा, निवासी रूण्डी रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित— श्री बी.एल.जैन अभिभाषक अपीलांटकी ओर से
श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2,3 व 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : **08.08.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 81/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.09.2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 2, 3, 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम झागर सीमल्या सोपाल, पटवार मण्डल रेलावन एवं ग्राम मदनपुरा पटवार मण्डल सेवनी से वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात अवस्थित है :—

भूमि ग्राम	भूमि खाता संख्या	भूमि खसरा नं.	रकबा बीघा में
झागर	48—68	248/1	14.05 हिस्सा 1/4 वादीगण
		249/1	14.00
		कुल किता – 1	28.05
झागर	49—69	15/1	5.19 हिस्सा 1/4 वादीगण
		40/1	2.17
		49/1	2.03
		52/1	1.04
		57/1	9.12
		166/1	1.13
		168/1	0.17
		264/1	13.13
		265/1	17.03

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
पू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

		267 / 1	4.15	
		279 / 1	10.04	
		283	0.01	
		284 / 1	3.09	
		286 / 1	0.19	
		कुल किता 14 कुल रकबा	74.09	
सीमल्या सोपान	49-42	77	42.18	हिस्सा 1 / 4 वादीगण
मदनपुरा	97.10	87	1.04	हिस्सा 1 / 4 वादीगण
		89	1.15	
		96	4.17	
		कुल किता 03 कुल रकबा 7.16		

उक्त वर्णित विवादित आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय किशनगंज के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.09.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2018 से वादी का वाद स्वीकार किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। प्रकरण में अपीलांट की तलबी की नहीं की गयी तथा बिना सुनवाई डिक्री पारित कर दी गयी, जो निरस्तनीय है। दिनांक 17.08.2016 की आदेशिका में स्पष्ट है कि प्रतिवादी कम 02, 04, 07 व 09 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी कम 2 व 4 लटूरलाल व छोटूलाल है तथा प्रतिवादी कम 7 गणेश है। इनकी इत्तला जर्ये पुत्र होना बताया है, जो प्रोपर तामील नहीं है तथा सम्मन पर भी हस्ताक्षर फर्जी हैं। दिनांक 28.08.2017 की आदेशिका से स्पष्ट है ना तो वादीगण के बयान लिये गये और ना ही प्रतिवादी के बयान लिये गये और ना ही किसी दस्तावेज पर प्रदर्श डाला गया। जबकि विवादित भूमियां ग्राम झागर की 28 बीघा 5 बिस्वा व 74 बीघा 9 बिस्वा तथा सीमलिया सोपान की 42 बीघा 18 बिस्वा व मदनपुरा की 7 बीघा 16 बिस्वा जमीन बतायी है तथा इन भूमियों के समस्त खातेदारों को भी पक्षकार बनाकर इत्तला नहीं की गयी है। क्योंकि इन भूमियों की कोई जमाबंदी पत्रावली पर पेश ही नहीं हुई है, इस कारण समस्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपने आप में शून्य हो जाती है। अतः दोनों अपीले स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय किशनगंज का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 15.09.2017 व अंतिम डिक्री 16.05.2018 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी के लिये भेजा जावे, ताकि पक्षकारान अपना जवाब पेश कर सके।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.08.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 2, 4, 7, 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। वादीगण – प्रतिवादीगण के (साक्ष्य) बयान नहीं लिये गये। दस्तावेज प्रदर्श नहीं हुए। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों की प्रोपर तामील हुई है। सभी जमाबंदियां पेश की गयी है। अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है। अतः प्राथमिक डिक्री का कोई अस्तित्त्व नहीं रहा है। राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाये।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपील मीमों में अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट (प्रतिवादीगण) की समुचित तामील नहीं हुई तथा बिना तामील एकतरफा कार्यवाही कर दी गयी, तथा विवादित आराजी की जमाबंदी पेश हुए बिना निर्णय कर दिया गया। पत्रावली में सलंग्न बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि बंटवारा रिपोर्ट पर समस्त अपीलांट (प्रतिवादीगण) के सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। अपीलांट द्वारा उक्त हस्ताक्षर के मिथ्या अथवा फर्जी होने बाबत कोई कथन नहीं किया गया है जिससे उक्त हस्ताक्षर अपीलांटगण के होना प्रमाणित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित आराजी की जमाबंदियां सलंग्न हैं। अपील मीमों के चरण संख्या 7 में अपीलांट द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2018 की जानकारी दिनांक 24.08.2021 को होना बताया गया है, जबकि बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 16.05.2018 पर सभी अपीलांट के हस्ताक्षर होने से यह कथन मिथ्या प्रमाणित होता है।

अपीलांट द्वारा राजीनामा मिथ्या अथवा फर्जी होने का तथ्य सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अपीलांट द्वारा मिथ्या अथवा फर्जी राजीनामे बाबत कोई एफ.आई.आर. या शिकायत दर्ज नहीं करायी गई। अपीलांट यहां विबंध के सिद्धांत (Principle of estoppel) से बाध्य है अर्थात् अपीलांट स्वयं के राजीनामे से बाध्य है। अतः उक्तानुसार अपीलांटगण स्वयं के किये गये राजीनामे के विबन्ध के सिद्धांत से बाध्य होने से हम दोनों अपीलें खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2021/116 एवं 2021/115 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.09.2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2018 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2021/116

1– गणेशराम उम्र 74 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– इन्द्रप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
3– लदूरलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
4– छोटूलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
5– चम्पालाल पुत्र बिरधीलाल – मृतक
5/1– भूपेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
5/2– योगेन्द्र उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
6– मानसिंह पुत्र श्री मथुरालाल –मृतक
6/1– सुखन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मानसिंह, जाति मीणा, निवासी चिण्डालिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– तीरथराज उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति माली, निवासी झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां हाल मुकाम रायपुरिया, डी.सी.एम. मैन रोड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1– गंगाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– छोटूलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
3– घासीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
4– तेजमल उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
5– मोहनलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
6– गायत्री बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री श्री बिहारीलाल, जाति मीणा, निवासी रूण्डी रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... **रेस्पोंडेंट**

अपील संख्या 2021/115

1– गणेशराम उम्र 74 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– इन्द्रप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
3– लदूरलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
4– छोटूलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
5– चम्पालाल पुत्र बिरधीलाल – मृतक
5/1– भूपेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
5/2– योगेन्द्र उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री चम्पालाल, जाति माली
6– मानसिंह पुत्र श्री मथुरालाल –मृतक
6/1– सुखन्द्र उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मानसिंह, जाति मीणा, निवासी चिण्डालिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– तीरथराज उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामचरण, जाति माली, निवासी झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां हाल मुकाम रायपुरिया डी.सी.एम. मैन रोड़, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1– गंगाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
2– छोटूलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
3– घासीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
4– तेजमल उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति माली
5– मोहनलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति माली
निवासीगण झागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
6– गायत्री बाई उम्र 55 वर्ष पुत्री श्री बिहारीलाल, जाति मीणा, निवासी रूण्डी रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.........**रेस्पोंडेंट**

अपील नं. **2021/116 व 2021/115**
मु.द.नं **81/2016**

एवं नाराजगी डिकी अदालत --**उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी दिनांक **15.09.2017** एवं
अन्तिम डिक्री **16.05.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 07 सन् 2024

श्री **बी.एल.जैन** अभिभाषक अपीलांटकी ओर से, श्री **कृष्णकांत शर्मा** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2,3 व 4 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

दोनों अपीले अपील संख्या 2021/116 एवं 2021/115 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.09.2017 तथा अंतिम डिकी दिनांक 16.05.2018 यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **08** माह **08** सन् **2024** को जारी किया गया ।

8/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर